न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—666 / 2020   दायर दिनांक:—13.01.2020

जीसीएमएस नं. 2020 / 00024

श्रीबाई पत्नि हुकमचंद आयु 52 साल जाति मीना निवासी हिंगोट तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

———सायल

बनाम

1. छगन आयु 56 साल
2. राधे आयु 48 साल
3. घनश्याम 45 साल
4. धनसिंह 50 साल

पिसरान जैलू, जाति जोगी निवासी हिंगोट तहसील हिण्डौन तह0 हिण्डौन जिला करौली राज0

———गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित—1. श्री अशोक नीमनका अधिवक्ता सायल

2. एकपक्षीय कार्यवाही गैरसायलान

दिनांकः— 10-12-21

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि खसरा न0 779 रकबा 14 ऐयर, 761 रकबा 12 ऐयर, 762 रकबा 13 ऐयर, 763 रकबा 23 ऐयर, 764 रकबा 16 ऐयर, 767 रकबा 18 ऐयर, 768 रकबा 18 ऐयर, 769 रकबा 24 ऐयर, 773 रकबा 20 ऐयर, 774 रकबा 9 ऐयर, 776 रकबा 13 ऐयर, 777 रकबा 47 ऐयर, 778 रकबा 15 ऐयर, 781 रकबा 16 ऐयर, 782 रकबा 19 ऐयर, 766 रकबा 11 ऐयर कुल किता 16 कुल रकबा 2.87 है0 स्थित ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में सायला का 2/35 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे सायलान द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीद किया है।

आराजीयात विवादग्रस्त सडक के किनारे [illegible] गैरसायलान के दिमाग में बदयांति पैदा हो चुकी है। और वे सायला [illegible] लाभ उठाकर उसके हिस्से को सडक किनारे नहीं देकर सडक से दूर देना चाहते है [illegible] कि गैरसायलान सायला के हिस्से में आम रास्ते के सहारे मकान तरमीम कर सायला के रास्ते को ही बंद करने पर आमादा है। बाका दिनांक 08.01.2020 को गैरसायलान ने सायला के हिस्से के आगे सडक से सायलान के रास्ते को रोककर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। जिस पर सायला ने गैरसायलान से अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:27:15 IST
Reason: SelfAttested

भूमि बाबत रास्ता छोडने एवं अपना हिस्सा भी सडक पर लेने बाबत कहा, तो गैरसायलान ने सायला से स्पष्ट कहा कि अब हम तुम्हारे खेत पर भी जबरन कब्जा करेंगें। जिस पर सायला ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया। मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। गैरसायलान के अलावा शेष दावा के प्रतिवादीगण भी आराजीयात का विधिवत तकास्मा कराने को तैयार नहीं है।

गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात खसरा न0 779 रकबा 14 ऐयर, 761 रकबा 12 ऐयर, 762 रकबा 13 ऐयर, 763 रकबा 23 ऐयर, 764 रकबा 16 ऐयर, 767 रकबा 18 ऐयर, 768 रकबा 18 ऐयर, 769 रकबा 24 ऐयर, 773 रकबा 20 ऐयर, 774 रकबा 9 ऐयर, 776 रकबा 13 ऐयर, 777 रकबा 47 ऐयर, 778 रकबा 15 ऐयर, 781 रकबा 16 ऐयर, 782 रकबा 19 ऐयर, 766 रकबा 11 ऐयर कुल किता 16 कुल रकबा 2.87 है0 स्थित ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। शेष भूमि को कृषि से अकृषि मे परिवर्तित नहीं करे। कोई निर्माण कार्य नही करे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 4 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 08.09.2021 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 76, जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 77, जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 75 वाके ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 76, जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 77, जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 75 वाके ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस[illegible] खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा सायलान की दौराने दाव[illegible] मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 13.01.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:27:15 IST
Reason: SelfAttested

को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 779, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 773, 774, 776, 777, 778, 781, 782, 766 वाके ग्राम बनवारीपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी की सायलान के हिस्से तक भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने नाहि विशिष्ट भूभाग का विक्रय करने की यथास्थिति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 10-12-24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 10.12.24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:27:15 IST
Reason: SelfAttested